



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13187

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1532/2026

आवेदक: शशि

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील:

राकेश कुमार, रवीन्द्र सिंह

प्रतिवादी के वकील:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक के वकील श्री अनुभव मिश्रा, जो श्री राकेश कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तथा सूचनाकर्ता के वकील श्री शैलेश कुमार यादव और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अपराध संख्या 317/2025, धारा 61(2), 103(1) बी.एन.एस., पुलिस थाना - टुंडला, जिला - फिरोजाबाद, में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के वकील ने कहा कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और इस मामले में झूठे आरोप में फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। FIR दायर करने में लगभग दो महीने और दस दिन की देरी हुई है और इस देरी का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया।
5. वकील ने आगे कहा कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप केवल संदेह पर आधारित हैं। उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। आवेदक पर जहरीला पदार्थ मिलने का झूठा आरोप लगाया गया है। आवेदक मृतक की पत्नी है।
6. इसके अतिरिक्त, वकील ने कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 25.7.2025 से जेल में बंद है और सुनवाई में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया।
8. "निर्दोष होने की धारणा जब तक दोष साबित न हो" का प्रसिद्ध सिद्धांत जमानत की अवधारणा को जन्म देता है, और जेल को अपवाद मानता है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार केवल तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि व्यक्ति पर अपराध का आरोप सिद्ध न हो जाए। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो और यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित हो। इस सिद्धांत की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने Satender Kumar Antil बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में की है।

10. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 में पुनः स्पष्ट किया कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। यह समय है कि न्यायालय यह मान्यता दे कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद।"
11. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसे कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं प्रस्तुत कीं, जो आवेदक को जमानत देने से रोकती हों।
12. मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें, अभिलेख और FIR दायर करने में दो महीने से अधिक की अनुचित देरी को ध्यान में रखते हुए, और मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
13. आवेदक - शशि, जो उक्त मामले में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
 - i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
14. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।